न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं. 53/2019 अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान सरकार

जरिये पटवारी हल्का झणकली

श्री मोहब्बत पुत्र श्री जिमाल

कौम मुसलमान निवासी उनरोड़

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

"निर्णय" दिनांक 18.07.19

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झणकली ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं। कि गै. सा. ने मौका उनरोड़ के खसरा नं. 178 रकबा 88.06 बीघा........ में से 4-10 बीघा किस्म टी.र.कु.घोरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये 0-13 पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये .... पूर्णाक में .... रुपये 50 अक्षरे रु. पचास मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत हरसाणी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रुप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. ....
कुल योग 50/- जि. के पृष्ठ सं. 71
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर